बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
बिहार सरकार का एक उपक्रम
वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
A Government of Bihar Undertaking
Website: www.bsbccl.bih.nic.in

Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

पत्रांक–बी0एस0बी0सी0सी0एल0–062–2014 (वित्त)1– 3279 दिनांक– 31/10/19

कार्यालय आदेश संख्या–.....81......../2019

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर मुकदमों की पैरवी/संचालन एवं अन्य कानूनी/अदालती मामलों में सलाह हेतु निगम के निदेशक पर्षद् की 47 वीं बैठक (दिनांक–31.05.2019) की कार्यवाही संख्या–18 द्वारा दी गई सहमति के आलोक में गठित Screening Committee की बैठक (दिनांक–16.10.2019) में लिए गए निर्णय के आलोक में निगम के अधिवक्ताओं की गठित पैनल में निम्न दो अधिवक्ताओं

1. कुमार अभिमन्यु प्रताप तथा
2. श्री विश्वजीत सिंह

को शामिल किया जाता है।

नियम एवं शर्तें :–

1. (i) अधिवक्ताओं को पटना उच्च न्यायालय/ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर मुकदमों के दैनिक एडमिशन, दैनिक सुनवाई, ड्राफ्टिंग एवं विधिक परामर्श हेतु निम्नांकित दर से फीस देय होगा:–

(क) दैनिक एडमिशन/सुनवाई	₹3,000/–	(तीन हजार रुपये) मात्र।
(ख) ड्राफ्टिंग	₹2,000/–	(दो हजार रुपये) मात्र।
(ग) विधिक परामर्श	₹4,000/–	(चार हजार रुपये) मात्र।

(ii) एवं अन्य न्यायालयों के समक्ष दायर मुकदमों के दैनिक एडमिशन, दैनिक सुनवाई, ड्राफ्टिंग एवं विधिक परामर्श हेतु निम्नांकित दर से फीस देय होगा:–

(क) दैनिक एडमिशन/सुनवाई	₹1,500/–	(एक हजार पाँच सौ रुपये) मात्र।
(ख) ड्राफ्टिंग	₹1,000/–	(एक हजार रुपये) मात्र।

2. जी0एस0टी0 अलग से देय होगा।
3. अधिवक्ताओं को किसी प्रकार का रिटेनरशीप फीस देय नहीं होगा।
4. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के मुकदमों या अन्य न्यायालय कार्यों से संबंधित पैनल अधिवक्ताओं या उनके सहयोगियों, लिपिकों द्वारा स्टेशनरी/टाईपिंग/श्रुतलेख/फोटोकॉपी/ऑर्डर की अभिप्रमाणित प्रति/शपथ/विविध आदि हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति Advocate General द्वारा अनुमोदित/निर्धारित/पुनरीक्षित दर के अनुसार भुगतेय होगा।
5. अधिवक्ताओं के बीच आपसी परामर्श के लिए किसी प्रकार का फीस देय नहीं होगा।
6. निगम के पदाधिकारियों से विमर्श के लिए किसी प्रकार का फीस देय नहीं होगा।
7. पटना से बाहर विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मुकदमों के संचालन हेतु जाने की स्थिति में निगम के अधिवक्ताओं को कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, केवल निर्धारित दर से दुगुनी फीस देय होगा। किन्तु अत्यन्त विशेष परिस्थिति में निगम के हित में यदि प्रबंधन आवश्यक समझता है तो पटना से बाहर यात्रा के लिए अधिवक्ता को वायुयान से यात्रा करने की अनुमति दे सकता है।

8. अधिवक्ताओं के बीच मुकदमों का बँटवारा प्रबंध निदेशक के स्तर से होगा।

9. प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई के पश्चात उसी दिन संबंधित टिप्पणी महाप्रबंधक विधि के कार्यालय में दिया करेंगे ताकि अद्यतन जानकारी मिलता रहे।

10. मुकदमा समाप्त होने पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति अधिवक्ता अपने मंतव्य के साथ महाप्रबंधक विधि के कार्यालय में आगे की कार्रवाई हेतु समर्पित करेंगें।

11. चयनित अधिवक्ता को आवश्यकता के अनुसार बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,पटना में बैठकर तथ्य विवरणी तैयार करनी होगी। साथ ही अधिकारियों से विमर्श किया जा सकेगा।

12. चयनित अधिवक्ता का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उनका नाम संबंधित पैनल से हटाने हेतु Screening Committee की अनुशंसा पर प्रबंध निदेशक सक्षम प्राधिकार होंगें।

31/X/19

प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक– बी0एस0बी0सी0सी0एल0--062–2014 (वित्त)1– 3279 दिनांक– 31/10/19

प्रतिलिपि – कुमार अभिमन्यु प्रताप एवं श्री विश्वजीत सिंह को सूचनार्थ।

31/X/19

प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक– बी0एस0बी0सी0सी0एल0--062–2014 (वित्त)1– 3279 दिनांक– 31/10/19

प्रतिलिपि – मुख्य महाप्रबंधक/सभी महाप्रबंधक/सभी उपमहाप्रबंधक/कंपनी सचिव/वरीय वास्तुविद्/ प्रोजेक्ट मैनेजर, बी0एस0बी0सी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/X/19

प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,पटना।